@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनाक 04.05.2024

हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकरण का 01 नामजद वांछित अभियुक्त घटना मे प्रयुक्त फावडे सहित गिरफ्तार।

दिनांक 20.04.2024 को समय करीब 13.59 बजे थाना स्थानीय पर वादी बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुनीश्वर सिंह निवासी ग्राम पलिया थाना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जिला कन्नौज ने वादी के भाई देवेन्द्र के ऊपर जान लेवा हमला किये जाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 366 धारा 307/506 IPC बनाम 1. राकेश पुत्र रोशन सिंह 2. पंकज सिंह पुत्र राकेश सिंह 3. दुर्गेश सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासीगण ग्राम औरंगाबाद थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर पंजीकृत।

इस घटना को श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय द्वारा गम्भीरता से लेते हुए नामित अभियुक्तगणों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया , जिसके अनुपालन में श्री मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण तथा श्री हरपाल सिह बालियान प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 03.04.2024 को अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र रोशन सिंह उम्र करीब 64 वर्ष निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर को कोला मोड से समय करीब 20.00 बजे घटना मे प्रयुक्त फावडा के साथ गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त पंकज व दुर्गेश घर से फरार चल रहे है जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार सम्भावित स्थानो पर दविश दी जा रही है। अभियुक्त राकेश सिंह के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ अभियुक्त -

अभियुक्त राकेश सिंह ने पूछने पर बताया कि साहब मेरी जमीन कोली गाँव में रामगंगा के किनारे है वही पर मेरे चचेरे भांजे देवेन्द्र सिंह व ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र गण मुनेश्वर सिंह निवासी ग्राम पलिया थाना तालग्राम जिला कन्नौज की भी जमीन है जमीन को लेकर हमारा आपस मे काफी दिनो से विवाद चल रहा है दिनाक 16.04.24 को जब मै अपने पुत्रो पंकज व दुर्गेश के साथ गेंहू की कटाई अपने खेत मे कराने गया था वहीं पर देवेन्द्र व ब्रजेन्द्र सिंह अपने बटाईदार देवेश पुत्र पप्पू निवासी ग्राम कोठा मंजा थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर अपने खेत मे काम करा रहे थे तभी देवेन्द्र सिंह ने हम लोगो से फसल काटने को लेकर बहसबाजी करने लगा था थोडी दूरी पर देवेन्द्र का भाई विजेन्द्र सिंह व देवेश खेत मे काम कर रहे थे देवेन्द्र सिंह हम लोगो को देखकर बहुत ही अशोभनीय बात कर रहा था जिससे हम लोगो को गुस्सा आ गयी जिससे हम तीनो पिता पुत्रो ने गुस्से मे आकर कहा कि तू नहीं मानेगा तो तुझे हमेशा के लिए शान्त कर देंगे और मै पास मे रखा फावडा लेकर देवेन्द्र की ओर दौडा तभी मेरा पुत्र पंकज के पास मे रखी कुल्हाडी को लेकर दौडा और पंकज ने देवेन्द्र सिंह के गर्दन मे कुल्हाडी मार दी मैने भी फावडा फैंककर मारा था मेरे पुत्र दुर्गेश ने भी दराती से हमला कर दिया था मुझे पता नहीं कि देवेन्द्र सिंह के फावडा लगा था या कुल्हाडी लगी थी देवेन्द्र सिंह जमीन पर पडा था मेरे लडको ने कहा था अब इसका काम हो गया है देवेन्द्र सिंह का भाई विजेन्द्र सिंह व देवेश सिंह भी भागकर आ गये थे तब हम लोग वहां से भाग गये थे वापस जाते समय मैने अपना फावडा रामगंगा नदी के पुल के कोने पर पुल के नीचे कोला की तरफ साइड मे झाडियो मे रख दिया था अभियुक्त द्वारा घटना मे प्रयुक्त फावडा कोला पुल के नीचे पत्थरो व झाडियो मे से निकाल कर लाकर दिया और बताया कि यही वह फावडा है जो मेने देवेन्द्र सिंह को मारा था। साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे मांफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

1. राकेश सिंह पुत्र रोशन सिंह उम्र करीब 64 वर्ष निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0स0 366 /2024 धारा 307/506 IPC थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण

1- घटना मे प्रयुक्त 01 फावडा

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- श्री हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।
2- उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
3- का0 1767 बिट्टू कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर
4- का0 1753 चन्द्रवीर सिंह थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

shahjahanpurpol